



रिपोर्ट पटवारी डेवरिया व भू.अ. निरीक्षक मो.कुन्दा तहसील रायपुर
महोदयजी,

निवेदन है कि ~~खेत~~ ग्राम डेवरिया
खेत संख्या 81 पर खेतदार मादोलाल पुत्र भैरा
द्वारा रिकार्ड है. उपरोक्त खेतदार का सही नाम मर
ण-मैरुलाल जाट है अतः रिकार्ड में उपरोक्त नाम
करवाने का आदेश करमावे।


06/10/2021
पटवारी डेवरिया


IP माधुलाल
6/10/2021



रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार रायपुर

रिपोर्ट पटवारी हल्का एवं भू.अ. निरीक्षक के अनुसार
ग्राम डेवरिया के खेत संख्या 81 पर खेतदार मादोलाल
पुत्र भैरा जाट के बजाय माधुलाल पुत्र मैरुलाल जाट
द्वारा किया जा रहा है।
आदेश

06/10/2021

तहसीलदार
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला-भीलवाड़ा
पुण गांव के संग अभियान-2021 - केम्प-डेवरिया
क्रमांक/शपथ/2021/6/2021 दि. 06.10.20

रिपोर्ट पटवारी हल्का एवं भू.अ. निरी. मो.कुन्दा द्वारा एवं
तहसीलदार रायपुर जांच रिपोर्ट अनुसार ग्राम-डेवरिया
में अंकित खा. सं. 81 पर खेतदार मादोलाल पुत्र
भैरा के बजाय माधुलाल पुत्र भैरा जाट नाम रूपांतर
रिकार्ड में दर्ज किया जावे।
6-10-2021

उपखण्ड अधिकारी
रायपुर भीलवाड़ा

FORM NO.03

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

अनवान

माधुलाल पिता भैरा जाट निवासी देवरिया तहसील रायपुर

प्रार्थी


बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षी

किस्म मुकदमा धारा 136 रा.भू.राज.अधि. 1956

मु0नं0 6 सन् 2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्य जज
दिनांक- 06-10-2021	<p>प्रार्थी माधुलाल पुत्र भैरा जाट निवासी देवरिया तहसील रायपुर के द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थी की पैतृक कृषि भूमि राजस्व ग्राम देवरिया के राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी खाता संख्या 81 में दर्ज खसरा नम्बरान कमशः 2402, कुल किता 1 कुल रकबा 3.17 है0 भूमि प्रार्थी के शामिल की जाते में सहखातेदार के रूप में स्वयं मादोलाल पुत्र भैरा हिस्सा 1/8 जाति जाट के नाम पर दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थी का नाम माधुलाल के बजाय मादोलाल अंकन हो रहा है जबकि वास्तविक नाम माधुलाल है जिसके सम्बन्ध में आवश्यक दस्तावेज साथ संलग्न है।</p> <p>प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार रायपुर से जांच रिपोर्ट ली गई जो शामिल पत्रावली की गई। तहसीलदार रायपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट के अनुसार ग्राम देवरिया के खाता संख्या 81 में सहखातेदार मादोलाल पुत्र भैरा जाट के बजाय माधुलाल पुत्र भैरा जाट दुरुस्ती किया जाना उचित बताते हुए दुरुस्ती करने की अभिशंषा की गई।</p> <p>अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार रायपुर की जांच रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाकर सहखातेदार के रूप में मादोलाल पुत्र भैरा हिस्सा 1/8 जाति जाट के बजाय माधुलाल पुत्र भैरा जाट हिस्सा 1/8 के नाम दर्ज करने की स्वीकृती दी गई, विस्तृत निर्णय अलग से लिखाया गया जो शामिल पत्रावली है पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: right;"> (सुन्दरलाल बम्बोडा) उपखण्ड अधिकारी, रायपुर भीलवाड़ा</p>